फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

बलवीरसिह बनाम धर्मपाल

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 37 सन–2022

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
22.03.2022	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान/अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 101/94 की कुल 3.5290हैक्‍ भूमि को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अकृषि उपयोग में आगामी तारीख पेशी तक नही किया जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 26.05.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नोहर नोहर	
3/6/22	वकील सायल के निवेदन पर पत्रावली पेश हुई सायल / सायलान के अधिवक्ता ने निवेदन किया की पक्षकारों का आपस में राजीनामा हो गया इसलिए वह अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहता खारिज फरमावें। सायलान पक्ष के द्वारा अब प्रार्थनापत्र नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	13/4/2022

Scanned with CamScanner